उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण अपील वाद सं0 01/2023–24

प्रफुल्ल चन्द्र राय.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

झारखण्ड सरकार.....उत्तरकारी।

आदेश

29.09.2023

यह अधिहरण अपील वाद प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका के अधिहरण वाद सं0–01/2022 में पारित आदेश दिनांक–31.12.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :–

वन प्रमण्डल दुमका के प्रशासनिक क्षेत्राधीन दुमका दामिन प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड अन्तर्गत दिनांक–12.01.2022 को वनकर्मियों द्वारा ओड़मो अधिसूचित वन से कोयला का अवैध रूप से खनन कर परिवहन करने के क्रम में LP ट्रक सं0–JH-15U 5236 चेचिस नं0– MAT541109J1N34726 एवं उस पर लदे कोयला लगभग 25 टन को भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संसोधन 1989) की धारा–26 एवं 41 के उल्लंघन में इसी अधिनियम की धारा–52 के तहत् विधि सम्मत जप्त करते हुए जप्ती की सूचना वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के माध्यम से प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल दुमका को दी गई। प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा विषयक वन वाद में जप्त वन पदार्थ (कोयला) एवं वाहन पर राज्यसात की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए संशोधित वाहन मालिक/वन पदार्थ के स्वामी (अपीलकर्त्ता) को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

तत्पश्चात् अपीलकर्त्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया जिसमें सम्पूर्ण अभियोजन प्रतिवेदन को खंडित किया गया है।

अपीलकर्त्ता द्वारा जप्त वाहन एवं कोयले का परिवहन से संबंधित किसी प्रकार का कोई वैध कागजात/साक्ष्य प्रस्तुत नही किए जाने के कारण प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल द्वारा जप्त वाहन एवं उसमें लदे कोयले को भारतीय अधिनियम 1927 (बिहार संसोधन 1989) की धारा 52(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिहरित किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है:–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जप्त कोयला वन क्षेत्र का नहीं है। जप्त कोयला को S.K Traders G.T Road Govindpur Kharikabad Barma east Dhanbad Jharkhand से वैध कागजात e-way bill, Tax invoice आदि के साथ दिनांक– 06.01.2022 लाया जा रहा था। रास्ते में जामताड़ा जिला के पाण्डेयडीह में वाहन खराब हो जाने के कारण गंन्तव्य जगह कटिहार ले जाने में देरी हो गई और इसे रामगढ़ थानान्तर्गत मयुरनाथ मोड़ में दिनांक–12.01.2022 को जप्त कर लिया गया। कोयला को वैध कागजात के साथ परिवहन किया जा रहा था। इसके बावजूद इसे जप्त किया गया जो न्याय संगत नही है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए जप्त कोयला एवं वाहन को विमुक्त किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है–

उत्तरकारी राज्य सरकार की ओर विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता द्वारा कोयले का परिवहन से संबंधित किसी प्रकार का कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। अतः अपील आवेदन को निरस्त किया जाय।

प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि दिनोक–12.01.2023 को वन कर्मियों द्वारा ओड़मों अधिसूचित वन से कोयला का अवैध रूप से खनन कर परिवहन करने के क्रम में LP ट्रक सं0–JH154-5236 चेचिस नं0– MAT541109JIN34726 एवं उस पर लदे कोयला लगभग 25 टन को भारतीय अधिनियम 1927 (बिहार संसोधन 1989) की धारा– 26 एवं 41 के उल्लंघन में इसी अधिनियम की धारा– 52 के तहत् विधि सम्मत जप्त करते हुए जप्ती वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी, दुमका को दी गई एवं प्राधिकृत पदाधिकारी –सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा विषयक वन वाद जप्त वन पदार्थ करते हुए संबंधित वाहन मालिक/वन पदार्थ के स्वामी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अपीलकर्त्ता अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित किसी प्रकार का कोई वैध कागजात/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। फलस्वरूप निम्न न्यायालय द्वारा जप्त कोयला एवं वाहन की अधिहरित करने की आदेश पारित की गई।

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा ओड़मों अधिसूचित वन से कोयला का अवैध रूप से खनन कर परिवहन करने के क्रम में उक्त वाहन को 25 टन कोयला सहित जप्त किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने बचाव में कोयले का परिवहन से संबंधित किसी प्रकार का वैध कागजात/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कियां गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल नं0–1487/2017 स्टेट ऑफ उत्तरखण्ड बनाम एम0एस0 कुमॉऊ स्टोन क्रेशर में दिनांक–15.09.2017 में पारित आदेश के अनुसार कोयला किसी जगह (निरपेक्ष रूप से वन भूमि हो अथवा गैर वन भूमि हो) पर पाया जाता है तो वह वनोपज के श्रेणी के अन्तर्गत आयेगा।

ऐसी स्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल दुमका द्वारा भारतीय वन अधिनियम–1927(बिहार संसोधन 1989) की धारा 52(3) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जप्त LP ट्रक सं0–JH 15U-5236 चेचिस नं0–MAT541109J1N34726 एवं उस पर लदे 25 टन कोयला को राज्य सरकार के पक्ष में अधिहरण किया जाना सही प्रतीत होता है। उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।

आदेश

उपरोक्त उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधान के आलोक में निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

10/10/23   10/10/23

उपायुक्त,   उपायुक्त,
दुमका।   दुमका।

1328 dt. 7.10.23

Digitally signed by Anjaneyulu Dodde
Date: 2023.10.18 16:22:17 +05:30
Location: 169.254.227.244